न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 13/2020

उनवान

1. भगवान पुत्र नारायण जाति भांबी नि0 ग्राम जगपुरा, नसीराबाद
   –– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश पुत्र पेमा, (तर्क)
2. गीता पुत्री पेमा, (तर्क)
3. घनश्याम दत्तक पुत्र पॉचूलाल,
4. मंजू पुत्री पॉचूलाल समस्त जातियान कुम्हार निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
6. यूनीयन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाघसूरी तह नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 3 व 4 व 6 अनुपस्थित
5 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 24.5.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.95 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.24 व खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नही है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 45 रकबा 0.24 व खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान तर्क किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे प्रकरण में तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयीं।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.95 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 अप्रार्थी संख्या 3 से 4 की खातेदारी है जो राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी संख्या 3 से 4 के नाम दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 44 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 47/595 में से रास्ता दर्शाया गया है। उक्त रास्ते हेतु खसरा नम्बर 47/595 में से 4 मीटर चौडा व 82 मीटर लम्बा कुल 328 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 27 में से होकर खसरा नम्बर 47/595 में होते हुये प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 44 में पहुचेगा। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रकरण में चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित रहे है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 47/595 मे से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरा नम्बर में 4 मीटर चौडा व 82 मीटर लम्बा कुल 328 वर्ग मीटर रास्ता प्रार्थी को प्रदान किया जावे। रास्ते की भूमि के बदले डी0एल0सी0 दर की दो गुना राशि 11194 अक्षरे ग्यारह हजार एक सौ चोरानवे रूपये की राशि अप्रार्थी संख्या 3 से 4 को भूगतान होने के बाद तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:36:55 IST
Reason: SelfAttested